न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—9/2022 /225 (2022/9)

1. श्रीमती मीना चौहान पत्नि के.डी. चौहान जाति हिन्दू निवासी प्लांट संख्या ए/93, महर्षि दयानन्द कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर राज.।
2. आई.जे.जेक्ब सोलोमन पुत्र आर.डी.सोलोमन जाति ईसाई निवासी प्लांट संख्या ए/91, महर्षि दयानन्द कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर जरिये मुख्तयारआम डेविड सोलोमन पुत्र जेकेब सोलोमन जाति ईसाई निवासी प्लांट संख्या ए/91, महर्षि दयानन्द कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर।
3. श्रीमती आशा डी.सोलोमन पत्नि डी.आर.सोलोमान जाति ईसाई निवासी प्लांट संख्या ए/91, महर्षि दयानन्द कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर।

अपीलांटस

बनाम

1. तहसीलदार, अजमेर जिला अजमेर।
2. सुनील समुएल पुत्र ई.समुएल जाति ईसाई निवासी ए/49, यू.आई.टी. कॉलोनी, नाका मदार, अजमेर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 10.12.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 90/2016.

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी0 शर्मा, अभिभाषक अपीलांटस ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1.
3. श्री अभिषेक कौशिक, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः— 26.07.2022

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आदेश दिनांक 10.12.2021, प्रकरण संख्या 90/2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए और अप्रार्थीगण ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया तथा एक प्राथमिक आपत्ति प्रस्तुत की जिसमें कथन किया कि खसरा नम्बर 1190/3895 अजमेर विकास प्राधिकार, अजमेर पक्षकार है जिसे पक्षकार नही बनाने से

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है। जिसका प्रार्थीगण ने दिनांक 19.06.2019 को जवाब आपत्ति प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया कि अपनी खातेदारी की भूमि में आवागमन के लिए 25 फीट चौड़ा व 135 फीट लम्बा रास्ता प्रतिवादी संख्या 02 की भूमि खसरा नम्बर 1192 में से उपलब्ध कराये जाने का निवेदन किया है जो कि मुख्य मार्ग से नजदीक, सीधा रास्ता है इसके अलावा आवागमन का अन्य कोई रास्ता नही है और उक्त प्रकरण में अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा आदेशानुसार मौका रिपोर्ट दिनांक 24.07.2017 प्रस्तुत की गई तथा एक अन्य रिपोर्ट क्रमांक: 17/4049/दिनांक 14.08.2017 को प्रस्तुत की गई और सुनवाई लिए तारीख–पेशियां महामारी के कारण आगे होती रही और बिना प्रार्थीगण/अपीलांट को सूचित किए व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए प्रशासन गांवो के संग अभियान ग्राम पंचायत–पालरा में उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करते हुए प्रार्थीगण/अपीलांटस के आदेश को निरस्त कर दिया जबकि सुनवाई के समय न तो प्रार्थीगण उपस्थित रहे और ना ही उनके वकील उपस्थित हो सके क्योंकि उनको सुनवाई की कोई सूचना नही दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र को दिनांक 10.12.2021 को निरस्त कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलांटस ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

पत्रावली में रिकार्ड प्राप्त होने पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी/वकील प्रार्थी ने एक वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188, 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पालना तहसील व जिला अजमेर में स्थित कृषि भूमि खाता संख्या नया 505 पुराना खाता संख्या 256 के खसरा नम्बर 1186 का रकबा 0.5200 है. है। उपरोक्त प्रार्थीगण संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज काश्त होकर उपयोग कर रहे है। प्रार्थीगण उपरोक्त खसरा नम्बर 1189 की कृषि भूमि के चारो तरफ अन्य व्यक्तियों की भूमियॉ होने से उनके मुख्य सडक मार्ग से अपने खेत खसरा नम्बर 1189 में आन–जाने के लिए उपमार्ग के रूप में खसरा नम्बर 1190 व 1191 व 1182 व 1198 की भूमियॉ की सीमा से लगकर 25 फुट चौड़ा मार्ग उपलब्ध रहा है लेकिन वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 02 ने 1190 व 1198 की भूमि को बढ़ाकर अतिक्रमण कर रास्ते के उपयोग की भूमि को अपने खेत में मिला लिया है और उसमें एक बोरिंग व हौज बनवा लिया है जिससे प्रार्थीगण/वादीगण का अपने खेत में जाने का आवागमन का रास्ता बाधित हो गया है जिससे प्रार्थीगण को अपने खेत में आने–जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नही होने से उन्हे मुख्य लम्बा रास्ता उपलब्ध कराये जाने के लिए यह आवेदन प्रस्तुत है आवेदन के कथनो की पुष्टि के लिए मौके पर जॉच व मौका नक्शा पत्रावली पर मंगाये जाने तथा उक्त आवेदन का जवाब प्राप्त कर अधीनस्थ न्यायालय के आदेशानुसार जमाबंदी व नक्शा ट्रेस राजस्व अभिलेख में रास्ता कायम किये जाने की पालना हेतु तहसीलदार, अजमेर को भूमिधारी के प्रतिनिधि के रूप में पक्षकार बनाया है तथा अप्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 02 जो कि खसरा नम्बर 1192 का खातेदार काश्तकार है कि भूमि से उपरोक्त रास्ता प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 1189 में आने–जाने के लिए दिलाये जाने के लिए एवं रास्ते की भूमि के बदले मुआवजा राशि नियमानुसार अप्रार्थी संख्या 01 को दिलाये जाने के लिए उसे पक्षकार बनाया है तथा प्रार्थीगण रास्ते की भूमि बदले मुआवजे

के रूप में राशि देने को तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 02 के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया तथा मौका रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई और प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता स्वीकार नहीं करने का कोई भी कारण अपीलाधीन आदेश में नहीं बताया गया है बल्कि अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने मनमर्जी से अन्य रास्ता दिलाये जाने के लिए रिपोर्ट में अंकन किया जो कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये नजदीक के रास्ते से काफी अलग व दूर है और अगर वहां से भी रास्ता दिया जाता है तो न्यायालय स्वयं उन व्यक्तियों को पक्षकार की अधिकारिता रखता है और उन्हे पक्षकार बनाकर आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध कराया जाना विधिक प्रावधान व न्याय की मंशा रही है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अजमेर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 को निरस्त किया जावें। अपीलांटस के खातेदारी की भूमि ग्राम पालना तहसील व जिला अजमेर के खसरा नम्बर 1189 में आवागमन के लिए रास्ते उपलब्ध कराये जाने के समुचित आदेश फरमावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने दौराने बहस में कथन किया कि अपीलांटस/प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, उक्त रास्ते मे कोई अवरोध है तो वह उसके विधि अनुसार चुनौति देकर एवं अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर एवं रिको को पक्षकार बनाकर अवरोध हटा सकते है। अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज फरमायी जावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ने दौराने जवाब बहस में कथन किया कि अपीलांटस/प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के खसरा नम्बर 1192 में से कोई रास्ता विधि अनुसार नहीं दिया जा सकता, उनके पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है। खसरा नम्बर 1190/3895 अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर के नाम दर्ज, तथा खसरा नम्बर 1190 के सहारे रिको के द्वारा निर्माण कर रास्ता बंद कर दिया गया है उसको प्रार्थीगण ने न तो खुलवाने का कोई प्रयास किया ना ही उक्त वादपत्र/प्रार्थना पत्र में रिको को पक्षकार बनाया गया है बल्कि बदनियती से अप्रार्थी संख्या 02 की भूमि में से रास्ता चाहा गया है जो उक्त प्रावधानो के तहत् वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए नहीं दिया जा सकता। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2016–17(Supp.) पेज 677 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

7. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/अपीलांटस ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए व 188 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसे दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए गए। तत्पश्चात उक्त वाद पत्र में आवेदन आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दी. प्रस्तुत करने पर उसे स्वीकार कर केवल शेष धारा 251 ए राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत सुनवाई कर रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार, अजमेर से मौका रिपोर्ट तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 10.12.2021 में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को यह अंकित करते हुए खारिज किया है कि खसरा नम्बर 1190/3895 जो अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर के नाम है जिसे प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है। जबकि प्रार्थीगण ने अपने

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

प्रार्थना-पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया है। जबकि प्रार्थीगण ने अपने खते में आने-जाने के लिए खसरा नम्बर 1192 में से रास्ता उपलब्ध कराये जाने की मांग की गई तथा खसरा नम्बर 1190/3895 बाबत् रास्ते की मांग नहीं की गई है। वैकल्पिक रास्ते का अर्थ आवागमन हेतु निर्बाध उपलब्ध रास्ते से है। स्थानीय निकायों के नाम चली आ रही भूमि पर रास्ता वैकल्पिक नहीं हो सकता तथा केवल पक्षकार असंयोजन से प्रार्थना-पत्र खारिज करने का कारण नहीं बन सकता। न्यायालय का कर्त्तव्य था कि यदि समुचित पक्षकर संयोजित नही थे तो न्यायालय स्वविवेक से भी पक्षकार जोड़ सकता था। उपरोक्त कारणों को मध्यनजर रखते हुए हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 को निरस्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है।

8. अतः अपील अपीलांटस आंशिक स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 90/2016 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर को पक्षकार संयोजित कर सभी पक्षकारान को जवाब व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए एवं तहसीलदार/उपखण्ड अधिकारी स्वयं से मौका निरीक्षण कर रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता/लघुतम रास्ता/केवल सुविधाजनक रास्ता ना हों एवं विशेष कर नवीन रास्ते के प्रकरण में वैकल्पिक साधन का अभाव के बिन्दुओं की विवेचना करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 26.07.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील अधिकारी,
अजमेर